



कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं से सन्दर्भित संगत बिन्दुओं पर माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2017 को सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये:-

- 1). टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में M.Sc. in Medical (Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology) मेडिकल पी.जी. पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय की नोशनल फैकल्टी Faculty of Medical Sciences के अन्तर्गत निहित है। अतः Faculty of Medical Sciences के अन्तर्गत संगत मेडिकल पी.जी. प्रति पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता शुल्क रु० 5,00,000/-मात्र की दर से निर्धारित किया गया।
- 2). बलराम महाविद्यालय, मेजा, इलाहाबाद में M.Sc.(Horticulture) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विश्वविद्यालय की नोशनल फैकल्टी Faculty of Horticulture and Food Processing के अन्तर्गत निहित है। अतः Faculty of Horticulture and Food Processing के अन्तर्गत M.Sc.(Horticulture) का सम्बद्धता शुल्क रु० 2,00,000/-मात्र निर्धारित किया गया।
- 3). आवेदक द्वारा जमा किये गये आवेदन/प्रोसेसिंग शुल्क की वापसी की माँग पर निर्णय लिया गया कि सम्बद्धता आवेदन प्रस्ताव के साथ प्राप्त आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन-शुल्क नॉन रिफण्डेबुल होने के कारण वापस नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क की वापसी की माँग के दृष्टिगत यदि सम्बद्धता हेतु प्राप्त संगत आवेदन प्रस्ताव के कम में चरणबद्ध प्रक्रियान्तर्गत प्रोसेसिंग/निरीक्षण दल गठन आदि की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है एवं आवेदक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क की वापसी की माँग, विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन प्रस्ताव की प्राप्ति तिथि से अग्रिम दो माह के अन्दर की जाती है, तो प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जाये।
- 4). विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों से प्रति वर्ष वार्षिक-प्रतिवेदन आख्या प्राप्त की जाये।
- 5). वर्तमान सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता विस्तारीकरण के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/महाविद्यालयों से प्राप्त प्रगति आख्या एवं मानकानुसार पाये जाने पर विस्तारीकरण प्रदान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।
- 6). विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/कॉलेजों की अस्थाई सम्बद्धता को एक बैच उत्तीर्ण (संगत पाठ्यक्रम की सत्रावधि पूर्ण) होने के उपरान्त ही स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।
- 7). विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कॉलेजों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या(Syllabus) को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाये।
- 8). विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची, फैकल्टी/शिक्षकों एवं प्राचार्य आदि की शैक्षिक योग्यता, पता, ई-मेल एवं मोबाइल-नम्बर के विवरण सहित सूची, सम्बद्ध संगत पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता आदेश एवं संगत विनियामक संस्थान द्वारा निर्गत अनुमोदन संबंधी पत्र इत्यादि को वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। समस्त शिक्षकों की संयुक्त हस्ताक्षरित रिटलफोटोग्राफ को वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा विश्वविद्यालय को भी तत्काल प्रेषित की जाये।
- 9). विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करके ही संगत संस्था/कॉलेज का नाम परिवर्तन विधि-मान्य होगा। बिना अनुमोदन के संगत संस्था/कॉलेज का नाम परिवर्तन किये जाने पर उक्त संस्था/कॉलेज की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- 10). आगामी शैक्षिक सत्र में स्कॉलरशिप ऑन लाइन सबमिशन के अन्तिमीकरण से पूर्व माह जून के द्वितीय शनिवार में विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के साथ समस्त सम्बद्ध संस्थाओं/कॉलेजों के स्कॉलरशिप हेतु नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आहूत करते हुये समस्त संगत निर्देश अनुपालनार्थ निर्गत कर दिये जाये। राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निर्धारित नियम एवं मानकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संगत प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सम्बद्ध संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा सुनिश्चित किया जाय अन्यथा विद्यार्थियों के योजना से लाभान्वित न होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व संगत संस्था/कॉलेज का होगा।

उपर्युक्तानुसार आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव

पत्रांक : पत्र. 412ए/डीएसएमएनआरयू/सम्बद्धता/2017-18

दिनांक 28 .11.2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1). स्टाफ ऑफिसर, कुलपति डॉ.श.मि.रा.पु. विश्वविद्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2). अधिष्ठाता (शैक्षणिक)/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
- 3). समस्त अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय को बिन्दु क्रमांक-07 के अनुपालनार्थ।
- 4). अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय।
- 5). समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं को अनुपालनार्थ।
- 6). सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव